न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 54/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सज्जन कुमार पिता कन्हैयालाल सोडानी नि0 बिगोद, जिला भीलवाडा
––अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 26/07/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 02.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 18/05/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 924887 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, परन्तु अपीलार्थी के आवेदन को सूचना प्रकोष्ठ के पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2018/आर–36 दिनांक 27.05.2018 से उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार भीलवाड़ा को स्थानान्तरित किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18/05/2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 09/07/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू.अ./ 2018/109 दिनांक 20.07.2018 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/सू.अ. /2018/108 दिनांक 18.07.2018 से प्रेषित की जा चुकी है जिसकी प्रति साथ संलग्न है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18.05.2018 की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कार्यालय(प्रशा0) भीलवाड़ा के सूचना प्रकोष्ठ से दिनांक 27.05.2018 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को प्राप्त हुई । आवेदन अनुसार तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक/राजस्व/2009/1013 दिनांक 11.05.2009 के साथ प्रेषित की गई सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। उक्त सूचना अपीलार्थी को आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस में अर्थात 26.06.2018 तक उपलब्ध कराना आवश्यक था परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक/सू.अ./2018/108 दिनांक 18.07.2018 से सूचना उपलब्ध नहीं करा इस प्रकार सूचित किया कि रिवर्ट बैक सम्बन्धी पत्रावली इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। रिवर्ट बैक की पत्रावली जिला कलक्टर कार्यालय के राजस्व अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है । अपीलार्थी को सूचना पत्र ही दिनांक 18.07.2018 को लिखा जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को रिवर्ट बैक सम्बन्धी पत्रावली की सूचना अपीलार्थी को स्वयं तैयार करा निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18.05.2018 में अंकित पत्रावली की सूचना तैयार करा निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए पालना से अवगत करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 26/07/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा